

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।  
आदेशांक—वा०क०अधि० /पूर्णपीठ/ ७८५ /२१, लखनऊःदिनांकःमई, २८ ,२०२१

—:: आदेश ::—

उत्तर प्रदेश, वैट नियमावली—2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन दिनांक ०९.०६.२०२१ को पूर्णपीठ से सम्बन्धित वादों के निस्तारण हेतु मुख्यालय पर पूर्ण पीठ का गठन किया जाता है।

गठित पूर्ण पीठ में मेरे अतिरिक्त श्री विनय सिंह, सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ—१ लखनऊ तथा श्री अजीत कुमार शुक्ला, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ—३ लखनऊ, सम्मिलित होंगे।

तदनुसार सम्बन्धित अधिकारी अवगत होने का कष्ट करें।

ह० / २८.०५.२०२१  
( महाताब अहमद )  
एच०ज००४८०  
अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या—वा०क०अधि० /पूर्णपीठ/ ७८५ /२०२१ तददिनांकः:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- १— सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ—१ व ३ लखनऊ
- २— मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक विवरण/कम्प्यूटर मुख्यालय।
- ३— आदेश की अनुरक्षण पत्रावली हेतु।

आज्ञा से  


(तरुण कुमार)  
निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ  
संख्या—वा०क०अधि०/ नाजिर/ विविध/ १८३६/ २०२१ दिनांक: २५ मई २०२१

### आदेश

मुख्यालय द्वारा समय समय पर अपीलों की फीडिंग से सम्बंधित कार्य प्राथमिकता के आधार पर किये जाने हेतु पीठ कार्यालयों को परिपत्र निर्गत किये जाते हैं। सदस्य पीठ—प्रथम, लखनऊ में इन्टरनेट न होने के कारण अपीलों की फीडिंग से सम्बंधित परिपत्रों का अनुपालन किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है तथा मुख्यालय पर बजट/लेखा सम्बंधी कार्य भी इन्टरनेट न होने कारण वाधित रहता है।

अतः वाणिज्य कर भवन के प्रथम तल रिथ्ट ए ब्लाक में मुख्यालय सहित सदस्य पीठ—प्रथम, लखनऊ में इन्टरनेट नेटवर्किंग/सम्बंधित इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम को सही कराये जाने हेतु सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ—१, लखनऊ एवं निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण, मुख्यालय की एक दो सदस्यीय समिति का गठन निम्न प्रकार किया जाता है।

- श्री विनय सिंह, न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ प्रथम, लखनऊ (अध्यक्ष)
- श्री तरुण कुमार, निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण, मुख्यालय (सदस्य)

उक्त समिति नियमों के अन्तर्गत शासकीय वेबसाईट 'जेम' पर अपलब्ध कोटेशन अथवा स्थानीय बाजार पर उपलब्ध कोटेशन के निम्नतम् आधार पर उक्त कार्य किये जाने की प्रगति रिपोर्ट 10 दिवस के अन्दर मेरे समक्ष प्रस्तुत करेगी। तदनुसार आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(महताब अहमद)  
एच०ज०एस०

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तद।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

- कोषाधिकारी, ज्वाहर भवन, लखनऊ।
- सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण लखनऊ पीठ प्रथम, लखनऊ।
- निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- वरिष्ठ सहायक—नाजिर, मुख्यालय।
- वेबअधिकारी, कम्प्यूटरकैन्ड्र, मुख्यालय।

(महताब अहमद)

एच०ज०एस०

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से  
(तरुण कुमार)

निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ